संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक : 672/स्थापना/अतिथि शिक्षक/2024 **अम्बिकापुर, दिनांक 16/12/2024**

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 699/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर दिनांक 25.07.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 77/निस/सं/उशि/2024 दिनांक 12.07.2024 के अनुसार संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के विश्वविद्यालय शिक्षण विभागान्तर्गत **जैव प्रौद्योगिकी, एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी विषय** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एंव निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ **दिनांक 20.12.2024 को सायं 5.00 बजे** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अर्न्तगत अतिथि शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/ पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या			कुल
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	
01	जैव प्रौद्योगिकी	–	01	–	01
02	प्रयोजनमूलक हिन्दी★	–	–	01	01
					02

टीप – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।★ प्रयोजनमूलक हिन्दी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के ही आवेदन मान्य किया जाएगा।

शर्ते :–

4. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट एम. फिल, पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. दिनाक 20.12.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित हो कर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शमिल किया जाएगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

6. अन्तिम तिथि तक विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

7. प्राप्त आवेदनों की पदवार अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 24.12.2024 को विश्वविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

8. गुणानुक्रम अनुसार अंतरिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 26.12.2024 तक होगी।

9. अन्तिम सूची का प्रकाशन दिनांक 27.12.2024 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर किया जाएगा।

10. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पूलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है, साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एव पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त नहीं की गयी है।

11. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

12. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

13. अतिथि व्याख्याता के अन्तर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा –

क्र	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि व्याख्याता शैक्षणिक सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
01	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
02	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
01	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
02	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह)

?

14. आवेदन बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता – कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

15. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माना जाएगा। और वे लोक–सेवक की विधि विहिन परिभाषा के अन्तर्गत लोक–सेवक नहीं कहलाएगें।

16. संस्थान मे इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

17. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा। तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

18. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन जैस अन्य कार्यो में सहयोग प्रदान करेगें।

19. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा अगामी शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होगें।

कुलसचिव